न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह पुरोहित आर.ए.एस.

सप्लाई विविध प्रकरण संख्या : 37/2025

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय, प्रथम जोधपुर	1	सुगना पत्नि रामचन्द्र निवासी सांसी बस्ती गली नं.1 पांचबती चौराहा जोधपुर
	2	रामकिशोर पुत्र मुल्ताराम निवासी ग्राम कागल हाल दिव्यांशी गैस एजेन्सी बनाड रोड जोधपुर
	3	दिव्यांशी भारत गैस बीजेएस जोधपुर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय व वितरण का विनियमन) आदेश 2000

उपस्थितिः
1. प्रार्थी की ओर से विभागीय पेरोकार श्रीमती महिमा जैन प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय, प्रथम जोधपुर उपस्थित।
2. अप्रार्थी सं. 03 की ओर से अधिवक्ता श्री जितेन्द्र पारासरिया उपस्थित।

निर्णय

दिनांक 11.06.2025

प्रार्थी राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद कार्यालय प्रथम जोधपुर की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवित पेट्रोलियम गैस (वितरण एवं प्रदाय नियन्त्रण) आदेश 2000 के अन्तर्गत अप्रार्थी सुगना पत्नि रामचन्द्र व अन्य निवासी सांसी बस्ती शिवरी डीजे साउण्ड लाईट डेकोरेशन इन्द्रा कॉलोनी गली नं.1 रातानाडा जोधपुर के विरूद्ध यह प्रकरण जब्तसुदा 52 घरेलु गैस सिलेण्डरों को राज्यसात करने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 19.10.2024 को जिला प्रवर्तन निरीक्षक मय निरीक्षक टीम कार्यालय जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर द्वारा श्री इन्द्रा कॉलोनी गली नं.1 रातानाडा जोधपुर सांसी बस्ती स्थित शिवरी डीजे साउण्ड लाईट डेकोरेशन स्थान की आकस्मिक जांच की गई, मौके पर श्रीमती सुगना पत्नि रामचन्द्र अवैध रूप से घरेलु गैस सिलेण्डरों गैस रिफिलिंग करते हुए पाई गई अप्रार्थी के पास दुकान से कुल 22 घरेलु गैस सिलेण्डर (21 भारत गैस, 01 इण्डेन),2 इलेक्ट्रॉनिक मोटर मय पाइप मय नोजल व 02 इलेक्ट्रोनिक कांटे पाये गये। अप्रार्थी द्वारा उक्त सिलेण्डर से संबधित किसी भी प्रकार के कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। साथ ही मौके पर वाहन सं. आर.जे.22 जी.ए. 8536 मय वाहन चालक रामकिशोर पुत्र मुल्तानराम निवासी कागल हाल दिव्यांशी भारत गैस एजेन्सी, बनाड रोड जोधपुर से अवैध सप्लाई करते हुए कुल 30 सिलेण्डर (भारत गैस), गेट पास (32 सिलेण्डर 14.2 किग्रा) एंव 12 कस्टमर रसीद पाई गई, वाहन चालक रामकिशोर द्वारा मौके पर अप्रार्थी सुगना को अवैध रूप से घरेलु गैस सिलेण्डर सप्लाई करना पाया गया।

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर

मौके पर पाये गये कुल 52 घरेलु गैस सिलेण्डरों का विवरण इस प्रकार हैः–

क्र. स.	गैस कम्पनी का नाम	एस.आर.नम्बर	खाली सिलेण्डर का वजन	कुल वजन मय गैस	गैस का वजन (किलो में)
1.	भारत	382268 E	16.2 कि.ग्रा.	21.5 कि.ग्रा.	5.3 कि.ग्रा.
2.	भारत	635177 s	15.6 कि.ग्रा.	15.8 कि.ग्रा.	0.2 कि.ग्रा.
3.	भारत	324575 s	15.4 कि.ग्रा.	29.5 कि.ग्रा.	14.1 कि.ग्रा.
4.	भारत	649515 I	15.0 कि.ग्रा.	29.0 कि.ग्रा.	14.1 कि.ग्रा.
5.	भारत	318528 p	15.7 कि.ग्रा.	29.9 कि.ग्रा.	14.2 कि.ग्रा.
6.	भारत	4931	15.7 कि.ग्रा.	29.8 कि.ग्रा.	14.1 कि.ग्रा.
7.	भारत	13486 T	15.6 कि.ग्रा.	29.7 कि.ग्रा.	14.1 कि.ग्रा.
8.	भारत	350534 E	15.8 कि.ग्रा.	29.9 कि.ग्रा.	14.1 कि.ग्रा.
9.	भारत	672502 S	15.7 कि.ग्रा.	29.8 कि.ग्रा.	14.1 कि.ग्रा.
10.	भारत	568099 T	15.6 कि.ग्रा.	29.9 कि.ग्रा.	14.3 कि.ग्रा.
11.	भारत	275880 S	15.8 कि.ग्रा.	20.7 कि.ग्रा.	04.9 कि.ग्रा.
12.	भारत	453892	15.7 कि.ग्रा.	15.9 कि.ग्रा.	0.2 कि.ग्रा.
13	भारत	168694 T	15.4 कि.ग्रा.	15.8 कि.ग्रा.	0.4 कि.ग्रा.
14.	भारत	998280 S	15.3 कि.ग्रा.	29.4 कि.ग्रा.	14.1 कि.ग्रा.
15.	भारत	021429 S	15.7 कि.ग्रा.	15.9 कि.ग्रा.	0.2 कि.ग्रा.
16.	भारत	700196 S	15.6 कि.ग्रा.	15.9 कि.ग्रा.	0.3 कि.ग्रा.
17	भारत	607050 S	15.5 कि.ग्रा.	15.7 कि.ग्रा.	0.2 कि.ग्रा.
18	भारत	931941 S	15.8 कि.ग्रा.	29.9 कि.ग्रा.	14.1 कि.ग्रा.
19	भारत	91234 S	15.6 कि.ग्रा.	20.5 कि.ग्रा.	4.9 कि.ग्रा.
20	भारत	141370 S	15.3 कि.ग्रा.	29.5 कि.ग्रा.	14.2 कि.ग्रा.
21	भारत	404368 T	15.7 कि.ग्रा.	29.8 कि.ग्रा.	14.1 कि.ग्रा.
22	इण्डेन	334447	15.5 कि.ग्रा.	18.4 कि.ग्रा.	1.9 कि.ग्रा.

वाहन सं. आर.जे.22 जी.ए. 8536 से जब्त सिलेण्डर					
23	भारत	029949 T	15.6 कि.ग्रा.	29.6 कि.ग्रा.	14.0 कि.ग्रा.
24	भारत	386280 S	16.0 कि.ग्रा.	30.1 कि.ग्रा.	14.1 कि.ग्रा.
25	भारत	107893 S	16.0 कि.ग्रा.	30.1 कि.ग्रा.	14.1 कि.ग्रा.
26	भारत	456894 B	15.4 कि.ग्रा.	29.5 कि.ग्रा.	14.1 कि.ग्रा.
27	भारत	812631 S	15.6 कि.ग्रा.	29.7 कि.ग्रा.	14.1 कि.ग्रा.
28	भारत	853290 T	15.8 कि.ग्रा.	30.0 कि.ग्रा.	14.2 कि.ग्रा.
29	भारत	062445 T	15.6 कि.ग्रा.	29.8 कि.ग्रा.	14.2 कि.ग्रा.
30	भारत	177083 S	16.2 कि.ग्रा.	30.2 कि.ग्रा.	14.0 कि.ग्रा.
31	भारत	416781	15.7 कि.ग्रा.	29.8 कि.ग्रा.	14.1 कि.ग्रा.
32	भारत	756920 S	15.5 कि.ग्रा.	29.6 कि.ग्रा.	14.1 कि.ग्रा.
33	भारत	714406	15.7 कि.ग्रा.	29.8 कि.ग्रा.	14.1 कि.ग्रा.
34	भारत	332553 S	15.6 कि.ग्रा.	29.8 कि.ग्रा.	14.2 कि.ग्रा.
35	भारत	235141 S	15.8 कि.ग्रा.	30.0 कि.ग्रा.	14.2 कि.ग्रा.
36	भारत	075437	15.4 कि.ग्रा.	29.5 कि.ग्रा.	14.1 कि.ग्रा.
37	भारत	184405	15.9 कि.ग्रा.	30.0 कि.ग्रा.	14.1 कि.ग्रा.
38	भारत	030648	15.5 कि.ग्रा.	29.5 कि.ग्रा.	14.0 कि.ग्रा.
39	भारत	452178	15.7 कि.ग्रा.	29.8 कि.ग्रा.	14.1 कि.ग्रा.
40	भारत	329695	15.7 कि.ग्रा.	29.8 कि.ग्रा.	14.1 कि.ग्रा.
41	भारत	546153 T	15.7 कि.ग्रा.	30.0 कि.ग्रा.	14.3 कि.ग्रा.
42	भारत	-	15.5 कि.ग्रा.	29.5 कि.ग्रा.	14.0 कि.ग्रा.
43	भारत	38439 P	15.8 कि.ग्रा.	29.8 कि.ग्रा.	14.0 कि.ग्रा.
44	भारत	236320 P	15.7 कि.ग्रा.	29.8 कि.ग्रा.	14.1 कि.ग्रा.
45	भारत	402306 T	15.6 कि.ग्रा.	29.7 कि.ग्रा.	14.1 कि.ग्रा.
46	भारत	152259 B	15.6 कि.ग्रा.	29.6 कि.ग्रा.	14.1 कि.ग्रा.
47	भारत	462576 S	15.9 कि.ग्रा.	29.6 कि.ग्रा.	14.0 कि.ग्रा.
48	भारत	355968 S	15.7 कि.ग्रा.	29.7 कि.ग्रा.	14.0 कि.ग्रा.
49	भारत	726253 S	15.7 कि.ग्रा.	29.7 कि.ग्रा.	14.0 कि.ग्रा.

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

50	भारत	540811	15.5 कि.ग्रा.	29.5 कि.ग्रा.	14.0 कि.ग्रा.
51	भारत	283147	15.4 कि.ग्रा.	29.4 कि.ग्रा.	14.0 कि.ग्रा.
52	भारत	766635	15.6 कि.ग्रा.	29.7 कि.ग्रा.	14.1 कि.ग्रा.

उक्त 52 घरेलु गैस सिलेण्डरों तथा रिफलिंग सामग्री को जब्त सरकार किया जाकर श्री पूनाराम पुत्र धुडाराम निवासी भोजासर तथा श्री इकबाल खान पुत्र इलतदीन खान निवासी चाडी हॉल कर्मचारी वीर शिव गैस सर्विस रातानाडा जोधपुर को सुपुर्द किया गया। इस प्रकार अप्रार्थी 01 द्वारा उक्त 22 घरेलु गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण व अवैध रिफलिंग में उपयोग किया जा रहा था तथा अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा उक्त 30 घरेलु गैस सिलेण्डर से गैस रिफलिंग कार्य हेतु, अवैध सप्लाई, किया जाना पाया गया जो कि द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थी द्वारा धारा 6(ए) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जब्त उक्त कुल 52 घरेलु गैस सिलेण्डरों तथा 02 इलेक्ट्रॉनिक मोटर मय पाइप मय नोजल एंव 02 इलेक्ट्रोनिक कांटे को राज्यसात् किये जाने की प्रार्थना की गई।

प्रकरण में प्रार्थी विभागीय पेरोकार की बहस सुनी गयी। प्रार्थी विभागीय पेरोकार श्रीमती महिमा जैन प्रवर्तन अधिकारी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी 01 द्वारा वक्त जांच मौके पर उक्त 22 घरेलु गैस सिलेण्डरों(21 भारत,1 इण्डेन) का बिना वैध दस्तावेज के अवैध भण्डारण कर अवैध रूप से गैस रिफलिंग कार्य में उपयोग लिए जाना पाया गया एंव अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा उक्त 30 घरेलु गैस सिलेण्डर (भारत) की अवैध रूप से गैस रिफलिंग कार्य हेतु अप्रार्थी 01 को सप्लाई किया जाना पाया गया। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया है जिसके कारण जब्त उक्त कुल 52 घरेलु गैस सिलेण्डर व गैस रिफलिंग सामग्री को राज्यसात किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थी 01 व 02 अनुपस्थित, अप्रार्थी संख्या 03 की ओर से अधिवक्ता श्री जितेन्द्र पारासरिया ने अपनी बहस में बताया कि दिव्यांशी गैस एजेंसी द्वारा उक्त घरेलु गैस सिलेण्डर निर्धारित गेट पास संख्या 717 जारी कर एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर संबधित उपभोक्ताओं को वितरित किए जाने हेतु वाहन सं. आर.जे.22 जी.ए. 8536 में वाहन चालक रामकिशोर पुत्र मुलतानराम के साथ भिजवाये गये थे। वितरित किये जाने वाले गैस सिलेण्डर के कैश मीमों प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये है। वाहन से किसी प्रकार के रिफलिंग उपकरण प्राप्त नहीं हुए है। अप्रार्थी के वाहन एंव वाहन चालक द्वारा नियमानुसार गैस सिलेण्डर वितरित किये जा रहे थे, जिस कारण उक्त वाहन से जब्त 30 घरेलु गैस सिलेण्डरों को राज्यसात नहीं किये जावें। अतः प्रार्थी द्वारा जब्त 30 घरेलु गैस सिलेण्डर (भारत गैस) को रिलीज करने हेतु निवेदन किया गया है।

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर

हमने विभागीय पेरोकार व अधिवक्ता अप्रार्थी की बहस पर मनन एवं प्रकरण में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अनुसार स्पष्ट है कि वक्त जांच मौके पर अप्रार्थी सुगना पत्नि रामचन्द्र द्वारा उक्त 22 घरेलु गैस सिलेण्डरों (21 भारत, 01 इण्डेन) का बिना वैद्य दस्तावेजों के अवैध भण्डारण कर

02 इलेक्ट्रॉनिक मोटर मय पाइप मय नोजल एंव 02 इलेक्ट्रोनिक कांटे का उपयोग अवैध गैस रिफलिंग कार्य में किया गया है तथा अप्रार्थी संख्या 03 के वाहन सं. आर.जे.22 जी.ए. 8536 मय वाहन चालक रामकिशोर पुत्र गुल्ताराम का दौराने जांच मौकास्थल पर पाये जाने से अप्रार्थी सुगना को अवैध गैस रिफलिंग हेतु घरेलु गैस सिलेण्डर अवैध रूप से सप्लाई किया जाना दर्शाता है जो कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय व वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थी सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय प्रथम जोधपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जब्तसुदा कुल 52 घरेलु गैस सिलेण्डर (51 भारत 01 इण्डेन) तथा 02 इलेक्ट्रोनिक कांटे एंव 02 इलेक्ट्रॉनिक मोटर मय पाइप मय नोजल को राज्यसात करने का आदेश दिया जाता है। जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त जब्तसुदा कुल 52 घरेलु गैस सिलेण्डर एवं रिफिलिंग सामग्री का नियमानुसार निस्तारण किया जाकर राशि राज्य कोष में जमा कराई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील तामिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर